भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *150
उत्तर देने की तारीख 13.02.2023

उत्तर प्रदेश में कलाकारों को सहायता/प्रोत्साहन पैकेज

*150. **श्री विजय कुमार दुबे :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसे कलाकारों की पहचान की है जो कोविड-19 के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में कलाकारों के लिए कोई सहायता/प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने का विचार है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'उत्तर प्रदेश में कलाकारों को सहायता/प्रोत्साहन पैकेज' के संबंध में दिनांक 13 फरवरी, 2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *150 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य के कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए कलाकारों की पहचान करने हेतु कोई कार्य नहीं किया है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय का निरंतर प्रयास रहा है कि उसके द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कला एवं संस्कृति के संवर्द्धन और विकास के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/व्यक्ति समूह/सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इन स्कीमों के लाभार्थियों का चयन उनकी सांस्कृतिक जीवनवृत्त (प्रोफाइल)/प्रस्तावों के आधार पर विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। कोविड काल के दौरान लाभार्थियों को अनुदान/वित्तीय सहायता का त्वरित रूप से संवितरण सुनिश्चित करने हेतु समस्त प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी विधाओं के कलाकारों की सहायता करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए हैं:-

- जिन कलाकारों/संगठनों को 'कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई)' की विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान संस्वीकृत कर दिया गया था, उन्हें वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी गई ताकि वे लाभान्वित हो सकें और कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति से उबर सकें।
- संगठनों को रेपर्टरी अनुदान स्कीम के अंतर्गत वार्षिक रूप से अनुदान जारी किए जाने के लिए अनिवार्य निरीक्षण से छूट प्रदान की गई।
- सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजी) के अंतर्गत 43वीं और उससे पहले की बैठकों के अनुदानग्राहियों हेतु पहली किस्त जारी करने के लिए व्यय अग्रिम अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल में व्यय फाइल करने के लिए संगठनों को एक-बारगी छूट प्रदान की गई।
- बैच वर्ष 2019-20 के लिए वरिष्ठ अध्येताओं का चयन और वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येताओं, दोनों के संबंध में पूर्ववर्ती बैचों (बैच वर्ष 2017-18 तक) की छमाही रिपोर्टों का मध्यावधि और अंतिम मूल्यांकन वर्चुअल माध्यम से किया गया तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की गई।

- वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य वार्षिक आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबंध में वयोवृद्ध कलाकारों को एक-बारगी छूट प्रदान की गई।
- सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) ने कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल, 2020 से 2022 के मध्य तक कलाकारों को 927.83 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। जेडसीसी द्वारा आयोजित कार्यकलापों/कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:-
  - संस्कृति मंत्रालय के अधीन सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी), जिनमें उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनसीजेडसीसी), प्रयागराज भी शामिल है और उत्तर प्रदेश जिसका सदस्य राज्य है, ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश के लोक और जनजातीय कलाकारों को वेबिनारों, कार्यशालाओं, लाइव प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया, इन आयोजनों को प्रलेखित किया गया और फेसबुक तथा यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित किया गया। इन कलाकारों को उनकी ऑनलाइन प्रस्तुतियों के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया गया।
  - क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) ने लोक कलाकारों को अपने सदस्य राज्यों में स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित किया ताकि वे राज्यों द्वारा घोषित स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए गए इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न स्कीमों विशेषकर गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्द्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान), वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता स्कीम, सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता, बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता और विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों और संवितरित राशि की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे **अनुलग्नक-I** पर देखा जा सकता है।

(घ) और (ड.) : संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कलाकारों/संगठनों को पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अतः उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए किसी विशिष्ट सहायता/प्रोत्साहन पैकेज की शुरुआत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा ऊपर कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है। अनुलग्नक से यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक स्कीम में

लाभार्थियों और संवितरित राशि की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जैसे वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम, सांस्कृतिक समारोह और कार्यक्रम निर्माण अनुदान, बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता तथा युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम आदि।

****

अनुलग्नक-I

'उत्तर प्रदेश में कलाकारों को सहायता/प्रोत्साहन पैकेज' के संबंध में दिनांक 13 फरवरी, 2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *150 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(राशिः लाख रुपये में)

स्कीम का नाम	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023 (अब तक)	
	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि
गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	574	3995.74	529	3480.15	573	4248.58	1012	6690.52
वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता	3188	1817.60	2000	871.31	3020	1542.16	2555	1344.00
संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु अध्येतावृत्ति स्कीम	974	832.20	982	888.60	346	509.00	908	1305.6
विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों	1086	325.80	1265	379.50	1206	390.00	395	118.50

में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति स्कीम								
सांस्कृतिक अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय टैगोर अध्येतावृत्ति	5	20.73	7	28.25	7	52.25	-	-
राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों हेतु वित्तीय सहायता	8	701.03	6	930.46	6	758.24	15	907.90
सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान	975	1199.35	1468	1651.90	1615	2331.00	1942	2936.26
हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता	96	229.95	128	336.00	203	473.97	233	466.00
बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता	142	704.97	276	1607.99	367	2206.66	398	2579

स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	26	273.00	29	193.46	22	133.04	18	115.39
संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता	20	754.00	-	-	-	-	-	-
टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	4	1757.00	1	596.00	2	349.02	-	-

अनुलग्नक-II

'उत्तर प्रदेश में कलाकारों को सहायता/प्रोत्साहन पैकेज' के संबंध में दिनांक 13 फरवरी, 2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *150 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(राशि: लाख रुपये में)

स्कीम का नाम	**2019-2020**		**2020-2021**		**2021-2022**		**2022-2023 (अब तक)**	
	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि
गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	39	242.84	33	161.57	26	195.32	48	245.20
वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता	8	3.20	9	5.12	46	13.08	36	6.04
संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु अध्येतावृत्ति स्कीम	52	41.40	114	100.80	103	167.20	117	151.80
विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु	132	39.60	134	40.20	153	45.90	34	10.20

स्कीम का नाम	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023 (अब तक)	
	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि	लाभार्थियों (व्यक्ति/ संगठन) की संख्या	राशि
छात्रवृत्ति की स्कीम								
राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों हेतु वित्तीय सहायता	1	12.50	1	45.00	1	12.50	2	93.75
सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)	131	126.78	202	167.15	235	274.55	263	334.59
बौद्ध/तिब्बती संगठन के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता	3	6.90	12	50.53	19	110.31	27	195.28

*****